



(स्पीड पोस्ट)

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन.एस-बी/2, पाटलीपुत्र, औद्योगिक क्षेत्र,
पो0-सदाकत आश्रम, पटना-800010

पत्रांक: 282

पटना, दिनांक: 13.7.26

प्रेषक,

मनोरंजन कुमार सिंह,
क्षेत्रीय पदाधिकारी, गयाजी
सेवा में,

सदस्य सचिव,

राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,

बेल्फोन भवन, शास्त्री नगर,

पटना-800023.

विषय: मेसर्स तिरूपति बालाजी इंटरप्राइजेज, प्रोपराईटर: मनीषा कुमारी, पिता: श्री रामानुज शास्त्री, पति: श्री कुणाल कुमार, ग्राम-पेमा, पोस्ट-दादर, थाना-गोह, जिला-औरंगाबाद -824102 द्वारा अरवल जिलान्तर्गत सोन नदी स्थित अरवल सोन-10 (मसदपुर 1 घाट A) बालू घाट, मौजा-कमता, प्रखंड-कलेर, जिला-अरवल (बिहार) में स्थित बालू घाट से बालू उत्खनन कार्य हेतु सम्पन्न लोक सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के प्रसंग में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0-S.O. 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के आलोक में मेसर्स तिरूपति बालाजी इंटरप्राइजेज, प्रोपराईटर: मनीषा कुमारी, पिता: श्री रामानुज शास्त्री, पति: श्री कुणाल कुमार, ग्राम-पेमा, पोस्ट-दादर, थाना-गोह, जिला-औरंगाबाद -824102 द्वारा अरवल जिलान्तर्गत सोन नदी स्थित अरवल सोन-10 (मसदपुर 1 घाट A) बालू घाट, मौजा-कमता, प्रखंड-कलेर, जिला-अरवल (बिहार) से बालू खनन हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में दिनांक: 19.06.2026 को सम्पन्न लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि।

विश्वासभाजन

(मनोरंजन कुमार सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी, गयाजी

प्रतिलिपि:-

1. जिला पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. मेसर्स तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेज, प्रोपराईटर: मनीषा कुमारी, पिता: श्री रामानुज शास्त्री, पति: श्री कुणाल कुमार, ग्राम-पेमा, पोस्ट-दादर, थाना-गोह, जिला-औरंगाबाद -824102 द्वारा अरवल जिलान्तर्गत सोन नदी स्थित अरवल सोन-10 (मसदपुर 1 घाट A) बालू घाट, मौजा-कमता, प्रखंड-कलेर, जिला-अरवल (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री नीरज कुमार, सहायक प्रोग्रामर, बि. रा. प्र. नि. पर्षद, पटना को निदेश है कि दिनांक: 19.06.2026 को की गई लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति पर्षद के वेबसाइट पर डिसप्ले कराया जाय। दिनांक: 19.06.2026 को की गई लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न की जा रही है।

लोक सुनवाई का वृत्त।

मेसर्स तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेज, प्रोपराइटर: मनीषा कुमारी, पिता: श्री रामानुज शास्त्री, पति: श्री कुणाल कुमार, ग्राम-पेमा, पोस्ट-दादर, थाना-गोह, जिला-औरंगाबाद -824102 द्वारा अरवल जिलान्तर्गत सोन नदी स्थित अरवल सोन-10 (मसदपुर-1 घाट A) बालू घाट, मौजा-मसदपुर, प्रखंड-कलेर, जिला-अरवल, बिहार के अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं०-एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत दिनांक 19.06.2026 को अपराह्न 03:00 बजे प्रखण्ड कार्यालय कलेर परिसर के सभाकक्ष में, कलेर, जिला-अरवल के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/3110/2025, dated 01.12.2025 के आलोक में श्री बालेश्वर प्रसाद, अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन), अरवल (वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से) (जिला पदाधिकारी, अरवल के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक: 19.06.2026 को अपराह्न 03:00 बजे प्रखण्ड कार्यालय परिसर के सभाकक्ष में, कलेर, जिला-अरवल में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण के माध्यम से दिनांक 08.05.2026 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गयाजी द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस. ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया। यह बालू खनन पट्टा अरवल जिला अन्तर्गत सोन नदी स्थित अरवल सोन-10 (मसदपुर-1 घाट A), मौजा-मसदपुर, अंचल-कलेर, जिला-अरवल में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा मनीषा कुमारी, पिता: श्री रामानुज शास्त्री को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है, इस खनन पट्टा में 18.0 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 3,24,000 घन मीटर बालू का खनन प्रस्तावित है, इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹ 5 करोड़ 53 लाख 6 हजार है।

क्षेत्रीय पदाधिकारी, गयाजी द्वारा अरवल जिला अन्तर्गत अरवल सोन-10 (मसदपुर-1 घाट A), मौजा-मसदपुर, अंचल-कलेर, जिला-अरवल के परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि श्री प्रतीक शर्मा को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी के प्रतिनिधि श्री प्रतीक शर्मा के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मॉंगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपर समाहर्ता महोदय की अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मुन्ना कुमार शर्मा के द्वारा इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमित रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में कुल 180 वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 एवं Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

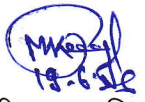
परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया / सुझाव
1.	श्री सरोज कुमार, पिता-अजय कुमार, ग्राम-मसदपुर, प्रखंड-कलेर, जिला-अरवल।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू घाट में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए पेयजल की आपूर्ति हेतु चापाकल की व्यवस्था की जाये जिससे बालू घाट में कार्य करने वाले मजदूरों को पीने के पानी की समस्या न हो। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बतलाया गया कि मजदूरों के लिए पेयजल की व्यवस्था हेतु बालू घाट के पास चापाकल एवं बोरिंग की व्यवस्था की जायेगी साथ ही लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित संवेदक प्रतिनिधि द्वारा आश्वस्त किया गया कि घाट पर कार्य करने वाले मजदूरों के लिए चापाकल एवं बोरिंग की व्यवस्था किया जायेगा। इस प्रकार परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार एवं लेसी द्वारा श्री सरोज कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया गया।

2	श्री शुभम शर्मा, पिता: स्व० सुरेश शर्मा ग्राम-मसदपुर, प्रखंड-कलेर, जिला-अरवल।	इनके द्वारा स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार देने से संबंधित एवं बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोकथाम से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा आश्वस्त किया गया कि ग्रामीणों को प्राथमिकता के आधार पर उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा, साथ ही बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में नियमित रूप से सड़को पर जल का छिड़काव किया जायेगा एवं बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर बालू का परिवहन किया जायेगा। इस प्रकार परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा श्री शुभम शर्मा को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया गया।
---	--	---

लोक सुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि बालू उत्खनन के उपरांत गीले बालू को Secondary Storage Facility में एकत्रित करने के पश्चात् ही बालू का उठाव एवं परिवहन का कार्य किया जाये। वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल का छिड़काव करेंगे एवं बालू परिवहन के दौरान सड़क के किनारे जो बालू गिरता है उसका उठाव सुनिश्चित करेंगे जिससे उक्त मार्ग में आने-जाने वाले जनता को कोई भी समस्या न हो, साथ बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे। बालू की खुदाई 3 मीटर गहराई अथवा भू-गर्भीय जल स्तर से उपर तक ही करेंगे। साथ ही स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मुहैया करायी जाये।

जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए बालू घाट का प्रस्तावित खनन परियोजना से सम्बंधित अग्रेतर कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


 क्षेत्रीय पदाधिकारी
 बि.रा.प्र.नि.पर्षद, गयाजी


 अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन),
 अरवल

उपस्थिति सूची

मेसर्स तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेज, प्रोपराईटर: मनीषा कुमारी,
 पिता: श्री रामानुज शास्त्री, पति: श्री कुणाल कुमार, ग्राम-पेमा,
 पोस्ट-दादर, थाना-गोह, जिला-औरंगाबाद-824102 द्वारा अरवल
 सोन नदी स्थित अरवल सोन-10 (मसदपुर घाट1-घाटA), बालू
 घाट, मौजा- मसदपुर, प्रखंड-कलेर, जिला-अरवल (बिहार) का
 प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक:
 19.06.2026 को 03:00 बजे अपराह्न में प्रखंड कार्यालय, कलेर,
 जिला-अरवल में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित
 महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	श्रीमती - पुमाद - Mum, Dapda Arwal	पुमाद - पुमाद - Dapda - Dapda - Arwal	19.06.26
2.	मनीषा कुमारी सिंह	मैत्रीय पर्यावरणीय जि ए प्र सि, पक्षि जयपुर	19.06.26
3.	मिनाक्षी गुप्ता	खान निरीक्षक अरवल	19.06.26
4.	Ashilasha Gupta	Mines Inspector Arwal	Ashilasha Gupta 19.06.2026
5.	मुन्ना कुमार शर्मा	Consultant Pran Ganga Pvt (td. Patna	Munna
6.	Pankaj Sharma Unit Representative	Vill + Post Shankar PS Daudnagar Dist Aurangabad Bihar	Pankaj Sharma
7.	मनीषा कुमारी विजय शर्मा	मसदपुर	मनीषा
8.	Pawan Kumar Arum Sharma	Masadpur	Pawan

9.	सुनील कुमार	ग्राम - मसदपुर आराम	हस्ताक्षर
10.	मोना कुमार श्रीकान्त शर्मा	ग्राम मसदपुर	Phalke
11.	मनीष कुमार कजय शर्मा	ग्राम + पौ. - मसदपुर	Mamish Kumar
12.	रमेश . कुमार पिता - अजय कुमार	ग्राम + पौ. - मसदपुर	रमेश कुमार
13.	Kartik Kumar Dhiraaj Bhargava	ग्राम - मसदपुर	Kartik Kumar
14.	जि. 5 पामन रामनगर पामन	ग्राम - मसदपुर	जि. 5 पामन
15.	नरेंद्र कुमार कमल पालाव	गाँव मसदपुर	नरेंद्र कुमार
16.	मनीष पालाव नगर पालाव	गाँव मसदपुर	मनीष पालाव
17.	कैकय पत्रवर्ती रामचंद्र पत्रवर्ती	गाँव मसदपुर	
18.	रीषु - साव रंजन साव	गाँव - मसदपुर	Kishu Saw.
19.	अपच शर्मा रामाशाह शर्मा	ग्राम मसदपुर	अपच शर्मा

20.	क. न. द. सि. श्रीमती श्री. सु. शै. सि.	मसूर १२	क. न. द. सि. श्रीमती
21.	जि. सि. कुमार मी. द. कुमार	मसूर	जि. सि. कुमार
22.	Rangan	मसूर ५ २	
23.	श्रीमती. क. म. १२ वि. क. म. १२	मसूर क. म. १२	
24.	वि. प. - यो. द. १	श्रीमती - मसूर १२	
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			